न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—31/2019 (2019/00075) वादपत्र

अनवान

1. विश्वप्रकाश पिता दुर्गाशंकर ब्राहम्ण नि. राणास हाल निवास नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा

वादी

बनाम

1. कमला पुत्री नानुराम ब्राहम्ण निवासी राणास तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1/1. राधा पत्नि गणेश शर्मा ब्राहम्ण निवासी समेलिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
1/2. रूकमा पत्नि कन्हैयालाल शर्मा ब्राहम्ण नि. सुखामण्ड तह. आसीन्द जिला भीलवाड़ा
1/3. शारदा पत्नि मुकेश शर्मा निवासी दोलपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
1/4. मंजु पुत्री उकारलाल शर्मा ब्राहम्ण निवासी सुरास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
1/5. रेखा पुत्री उकारलाल शर्मा निवासी समेलिया सुरास माण्डल जिला भीलवाड़ा
2. भागुती पुत्री नानुराम पत्नि गोपाललाल शर्मा नि. राणास हाल नि. जोगरास तह. रायपुर
3. मानी बैवा पन्नालाल गुर्जर निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. उदयराम पिता राजू गुर्जर निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. लादीदेवी पत्नि मांगीलाल गुर्जर निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. गौरू पिता सवाईराम गुर्जर निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. बैक मेनेजर साहब बैंक ऑफ बडौदा शा आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. मुकेश कुमार चौधरी — अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक 02.09.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 21.02.2021 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम राणास पटवार हल्का बकाण तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 179 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 180 रकबा 0.13 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.38 है0 भूमि में वादी का 1/6 हिस्से का बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन करवा रेवेन्यु रेकार्ड मे खोल जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एव तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.21 14:06:02 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 1[illegible] को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उक्त विवरण

अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम राणास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 179/1 रकबा 0.0415 है0, आराजी संख्या 180/1 रकबा 0.0215 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0730 है0 भूमि विश्वप्रकाश पिता दुर्गाशंकर खण्डेलवाल ब्राहम्ण सा. राणास हाल नि. रावतो के दरवाजे के बाहर बस स्टेण्ड मार्ग दरवाजा देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 179/2 रकबा 0.2085 है0, आराजी संख्या 180/2 रकबा 0.1085 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3170 भूमि कमला भागुती पुत्रीयां नानुराम 2/5 ब्राहम्ण नानी बेवा पन्ना 1/5 उदयराम पिता राजु 1/10 लादीदेवी पत्नि मांगीलाल 1/10 गोरू पिता सवाईराम 1/5 गुजर सा. देह खातेदार रहन बीओबी शाखा आशाहोली हिस्सा गोरू पिता सवाईराम का पर बदस्तुर रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02-09-2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.21 14:06:02 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–31/2019 (2019/00075) वादपत्र

अनवान

1. विश्वप्रकाश पिता दुर्गाशंकर ब्राहम्ण नि. राणास हाल निवास नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा

वादी

बनाम

1. कमला पुत्री नानुराम ब्राहम्ण निवासी राणास तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1/1. राधा पत्नि गणेश शर्मा ब्राहम्ण निवासी समेलिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
1/2. रूकमा पत्नि कन्हैयालाल शर्मा ब्राहम्ण नि. सुखामण्ड तह. आसीन्द जिला भीलवाड़ा
1/3. शारदा पत्नि मुकेश शर्मा निवासी दोलपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
1/4. मंजु पुत्री उकारलाल शर्मा ब्राहम्ण निवासी सुरास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
1/5. रेखा पुत्री उकारलाल शर्मा निवासी समेलिया सुरास माण्डल जिला भीलवाड़ा
2. भागुती पुत्री नानुराम पत्नि गोपाललाल शर्मा नि. राणास हाल नि. जोगरास तह. रायपुर
3. मानी बैवा पन्नालाल गुर्जर निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. उदयराम पिता राजू गुर्जर निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. लादीदेवी पत्नि मांगीलाल गुर्जर निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. गौरू पिता सवाईराम गुर्जर निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. बैक मेनेजर साहब बैंक ऑफ बडौदा शा आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी ग्राम राणास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 179/1 रकबा 0.0415 है0, आराजी संख्या 180/1 रकबा 0.0215 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0730 है0 भूमि विश्वप्रकाश पिता दुर्गाशंकर खण्डेलवाल ब्राहम्ण सा. राणास हाल नि. रावतो के दरवाजे के बाहर बस स्टेण्ड मार्ग दरवाजा देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 179/2 रकबा 0. 2085 है0, आराजी संख्या 180/2 रकबा 0.1085 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3170 भूमि कमला भागुती पुत्रीयां नानुराम 2/5 ब्राहम्ण नानी बेवा पन्ना 1/5 उदयराम पिता राजु 1/10 लादीदेवी पत्नि मांगीलाल 1/10 गोरू पिता सवाईराम 1/5 गुजर सा. देह खातेदार रहन बीओबी शाखा आशाहोली हिस्सा गोरू पिता सवाईराम का पर बदस्तुर रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 02.09.202[illegible]ालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.21 14:06:02 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]2-09.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा